

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अध्याय-4 (कंडिका-32) में निहित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जिला आयोगों के अध्यक्ष को अपने कार्य के अतिरिक्त निम्नवत् जिलों में अतिरिक्त कार्य का प्रभार सौंपा जाता है :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार
1	श्री ब्रजेन्द्र नाथ पाण्डेय	दुमका	पाकुड़
2	श्री ललीत प्रकाश चौबे	धनबाद	गिरिडीह
3	मो० सैयद मुतलूब हुसैन	गोड्डा	साहेबगंज
4	श्रीमती रीता मिश्रा	खूंटी	राँची
5	श्री गोपाल कुमार राय	रामगढ़	हजारीबाग
6	श्री अजीत कुमार	लातेहार	चतरा

- यह आदेश अधिसूचना की निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक प्रभावी होगा।
- प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ज्योति कुमारी झा),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 05/उप०फो०/CPA-19/01/2022 (पद त्याग) खा०आ० -...1106/राँची, दिनांक 19/04/22
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 05/उप०फो०/CPA-19/01/2022 (पद त्याग) खा०आ० -...1106 /राँची, दिनांक 19/04/22
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 05/उप०फो०/CPA-19/01/2022 (पद त्याग) खा०आ० -...1106 /राँची, दिनांक 19/04/22
प्रतिलिपि- सभी जिला आयोग के अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 05/उप०फो०/CPA-19/01/2022 (पद त्याग) खा०आ० -...1106 /राँची, दिनांक 19/04/22
प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव/सचिव, झारखण्ड राज्य आयोग/सचिव, सभी जिला आयोग, झारखण्ड/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/विभागीय सभी पदाधिकारियों/विभागीय बजट प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।